न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 213/2017

अनवान :

1. लक्ष्मीपत पुत्र स्व0 श्री खिंवकरण जाति ओसवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. मंगीलाल पुत्र खिंवकरण जाति ओसवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. चंदनमल पुत्र खिंवकरण जाति ओसवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. अमरादेवी पुत्री खिवकरण पत्नी नेमचंद जाति ओसवाल निवासी किराड़ाबड़ा हाल निवासी 95/2 काशीपुर रोड़, कलकत्ता 700002
4. रतनादेवी पुत्री खींवकरण जाति मेघवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. सुषमादेवी पुत्री खींवकरण जाति ओसवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र गोयल : वादी

निर्णय **दिनांक :** 9.1.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा किराड़ाबड़ा के खाता सं0 119 के खसरा सं0 224, 485 की कुल 9.826 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही रामसरा के खाता सं0 120/115 के खसरा सं0 143, 150, 158 की कुल 32.931 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण मांगीलाल, चन्दनमल, लक्ष्मीपत, अमरादेवी, रतनीदेवी, सुषमा पि0 खींवकरण के नाम 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है।

उक्त कृषि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है। वादी प्रतिवादीगण सगे भाई बहन है। वादी के माता पिता खींवकरण व माता श्रीमती भंवरीदेवी का देहान्त हो चुका है। इसलिए उक्त कृषि भूमि कि रोही मौजा किराड़ाबड़ा के खाता सं0 119 के खसरा सं0 224, 485 की कुल 9.826 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/6 बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही रामसरा के खाता सं0 120/115 के खसरा सं0 143, 150, 158 की कुल 32.931 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण मांगीलाल, चन्दनमल, लक्ष्मीपत, अमरादेवी, रतनीदेवी, सुषमा पि0 खींवकरण के नाम 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है।

उक्त कृषि भूमि का आज से करीब 10 वर्ष पूर्व दीपावली के रोज वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपस में मौखिक रूप से बंटवारा हो गया है। साथ में वादी एवं

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

प्रतिवादी सं0 1 ता 2 की बहनों ने भी अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में तर्क कर दिया। प्रतिवादीया अमरादेवी ने वादी के पक्ष में एक हक परित्याग पत्र दिनांक 30.05.2017 को बमुकाम कोलकता में तहरीर व तकमील करवाकर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवा दिया। हालांकि प्रतिवादिया अमरादेवी ने कृषि भूमि जेरबहस में अपना हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर दिया था। इसी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 उक्त कृषि भूमि का कब्जा काश्त करते चले आ रहे है, इसलिए प्रतिवादी सं0 3 ता 5 का उक्त दोनों खातों की भूमि में कोई भी हक व हिस्सा नहीं रहा है। उन्होने अपना हक व हिस्सा शुन्य कर लिया है। अब वाद भूमि रोही किराड़ाबड़ा के खाता सं0 119 में स्थित कुल 9.826 है0 कृषि भूमि में वादी लक्ष्मीपत 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 मांगीलाल 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 चन्दनमल 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार वाद भूमि चक रामसरा के खाता सं0 120/15 में कुल 32.931 है0 बारानी कृषि भूमि जो मांगीलाल, चन्दनमल एवं लक्ष्मीपत, अमरादेवी, रतनदेवी, सुषमा के नाम 1/5 हिस्सा की बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक 1/15–1/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तदानुसार जमांबंदी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

वाद भूमि तन्हा प्रतिवादी के नाम खातेदारी दर्ज रहने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, इसलिए उक्त दोनों खातों की कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 3 ता 5 का नाम जमाबंदी से कलमजन किया जाकर मुताबिक अनुतोष वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का नाम बतौर खातेदार बहिस्सा बराबर दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 6 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकी कायम की गई।

1. आया कि वादभूमि रोही किराड़ाबड़ा के खाता सं0 119 में स्थित कुल 9.826 है0 कृषि भूमि में 1/6 हिस्से की बजाय, वादी लक्ष्मीपत 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 मांगीलाल 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 चन्दमल 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार वाद भूमि चक रामसरा के खाता सं0 120/15 में कुल 32.931 है0 बारानी कृषि भूमि जो मांगीलाल, चन्दमल एवं लक्ष्मीपत, अमरादेवी, रतनदेवी, सुषमा के नाम 1/5 हिस्सा की बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक 1/15–1/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है ?

— वादी

2. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में वादी लक्ष्मीपत के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि कम्प्युटराईज जमाबन्दी रोही मौजा रामसरा खाता सं0 126/120 सम्वत् 20173–76 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि कम्प्युटराईज जमाबन्दी रोही मौजा किराड़ाबड़ा खाता सं0 121/119 सम्वत् 20171–74 प्रदर्श 2, हक परित्याग पत्र प्रदर्श 3, चित्रप्रतिलिपि कम्प्युटराईज जमाबन्दी ग्राम किराड़ाबडा खाता सं0 119/119 सम्वत् 2067–70 प्रदर्श 4, चित्रप्रतिलिपि कम्प्युटराईज जमाबन्दी ग्राम रामसरा खाता सं0 120/115 सम्वत् 2069–72 प्रदर्श 5, चित्रप्रति प्रमाणित वोटर आईडीकार्ड प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है। आज से करीब 10 वर्ष पूर्व दीपावली के रोज वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपस में मौखिक रूप से बंटवारा हो गया था। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 की बहनों ने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में तर्क कर दिया था। प्रतिवादीया अमरादेवी ने वादी के पक्ष में एक हक परित्याग पत्र दिनांक 30.05.2017 को बमुकाम कोलकता में तहरीर व तकमील करवाकर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवा दिया। प्रतिवादी सं0 3 ता 5 का उक्त दोनों खातों की भूमि में कोई भी हक व हिस्सा नहीं रहा है। इस प्रकार मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में एक तनकी कायम की गई है जिसे साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जो हक त्याग पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाया है उसमें प्रतिवादीया सं0 3 अमरादेवी ने स्पष्ट अंकित कराया है। उपरोक्त वर्णित हक त्याग पत्र में प्रथम पक्ष अमरादेवी व द्वितीय पक्ष लक्ष्मीपत है व प्रथम पक्ष अमरादेवी ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा द्वितीय पक्ष लक्ष्मीपत के ही पक्ष में त्याग किया है जो कि एक लिखित व दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एवं नोटेरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज है जिससे मात्र प्रतिवादिया सं0 3 अमरादेवी द्वारा ही अपना हक हिस्सा अपने एक भाई लक्ष्मीपत के पक्ष में तर्क किया गया है। इसके विपरीत वादी ने रोही मौजा किराड़ाबड़ा की भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में 1/3–1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा रामसरा की भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में 1/15–1/15 हिस्सा की घोषणा करवाने हेतु अनुतोष चाहा है एवं अन्य बहनों के हक त्याग के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इस प्रकार वादी उक्त तनकी साबित करने में असफल रहा है, इसलिए यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है। चूंकि वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन में प्रस्तुत हक त्याग पत्र प्रदर्श 2 मात्र प्रतिवादिया सं0 3 द्वारा वादी के पक्ष में हक त्याग किये जाने की पुष्टि करता है, तथा हक त्याग किये गये हिस्से का राजस्व रिकार्ड में अंकन नियमानुसार सब रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाना है एवं वादी ने स्वयं अपने वाद की मद संख्या 4 में लिखा है कि दिनांक 30.05.2017 को बमुकाम कोलकता में तहरीर व तकमील करवाकर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवा दिया है चूंकि दस्तबरदारी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में नियमानुसार पंजीयन राशि जमा करवाकर की जाती है केवल मात्र नोटेरी सत्यापित कराने से उक्त दस्तबरदारी को हक त्याग नही माना जा सकता है तथा प्रतिवादी सं. 4 ने भी इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि उक्त हक त्याग उसी के द्वारा वादी के पक्ष में किया हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी साबित होना नही पाया जाता है।

अत : वादी वाद को साबित करने में असफल रहा है। दावा वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 213/2017

अनवान :

1. लक्ष्मीपत पुत्र स्व0 श्री खिंवकरण जाति ओसवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. मंगीलाल पुत्र खिंवकरण जाति ओसवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. चंदनमल पुत्र खिंवकरण जाति ओसवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. अमरादेवी पुत्री खिवकरण पत्नी नेमचंद जाति ओसवाल निवासी किराड़ाबड़ा हाल निवासी 95/2 काशीपुर रोड़, कलकत्ता 700002
4. रतनादेवी पुत्री खींवकरण जाति मेघवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. सुषमादेवी पुत्री खींवकरण जाति ओसवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र गोयल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादी वाद को साबित करने में असफल रहा है। दावा वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 9.1.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक क R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ